तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पचायत भडौन्दा कला

प्रकरण सं. 100/2017

उनवान

खेत सिंह बनाम सरदार सिह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.

21.06.2018

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत भडौन्दा कला मे पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.12.2017 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा जमीन हाल खसरा न. 369 गैर मुमकिन कुआं से कृषि व पीने के लिए पानी का उपयोग मे कोई बाधाकारित न करें। प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का अवलोकन करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ता: फैसला दावा तक बढाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि व प्रार्थना–पत्र मे वर्णित भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति व गैर मुमकिन कुआं से कृषि भूमि व पीने का पानी का उपयोग मे कोई बाधाकारित न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राजस्थान)

Scanned by CamScanner